पटना नगर निगम
پٹنہ میونسپل کارپوریشن
PATNA MUNICIPAL CORPORATION

पटना कारपोरेशन
CITY OF PATNA

Letter No. / पत्रांकः 1114

Date / दिनांकः 10/08/2019

सेवा में,

श्री हर्ष केजरीवाल एवं अन्य,
पति-श्री विनोद कुमार केजरीवाल,
पता-सुतापट्टी,मुजफरपुर।

विषय :- **प्लॉन केस सं0-P-/Sandalpur-PRN-B+G+6/507/2017 की स्वीकृति के संबंध में।**

महाशय,

आपके आवेदन संख्या- P-/Sandalpur-PRN-B+G+6/507/2017 दिनांक 18.10.17 के संदर्भ में श्री हर्ष केजरीवाल एवं अन्य,पति-श्री विनोद कुमार केजरीवाल,**पता**-सुतापट्टी,मुजफरपुर के लिए भवन निर्माण के लिए पटना नगर निगम/ बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित..... विकास योजना / आयोजना प्राधिकार/ आयोजना स्कीम के प्लॉट सं0-2316 खाता सं0-860,थाना सं0-11,तौजी सं0-309, मौजा-संदलपुर थाना-अगमकुआँ पटना के बाबत निम्नलिखित शर्त्तो/ निर्वधनों के अध्याधीन एत्द द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है।

(क) भूमि/ भवन का उपयोग अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजन के लिए किया जाएगा और इस प्राधिकार के पूर्व अनुमोदन के बिना उपयोंगो को किसी अन्य उपयोग के लिए परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

(ख) विकास पूर्ण रूप से आवश्यक अनुमति के पृष्ठांकन के साथ संलग्न योजनाओं के अनुसार किया जाएगा।

(ग) अनुमोदित योजना में दर्शाया गया 1343.72 वर्ग मीटर का पार्किंग स्थान खुला रखा जाएगा और इसके किसी भाग पर निर्माण नहीं किया जाएगा ।

(घ) प्रस्तावित निर्माण वाली भूमि 15.66 मीटर से 17.22 मीटर चौड़ाई के अनुमोदित पहुँच मार्ग के माध्यम से सुगम्य होगी।

(ड़) प्रश्नगत भूमि आवेदक के विधिपूर्ण स्वामित्व एवं शांतिपूर्ण कब्जा में अवश्य हो।

(च) सड़क को मानक चौड़ाई तक और चौड़ी करने के लिए आवेदक, विभिन्न विकास योजना/आयोजना प्राधिकारों/या बिहार शहरी अयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 के अधीन अधिसूचित किसी योजना स्कीम के अधीन आच्छादित सुसंगत आयोजना प्राधिकार/ग्राम पंचायत क्षेत्रों के अधीनस्थ पटना नगर निगमों को 302.01 वर्ग मीटर चौड़ी भूमि की पट्टी मुफ्त उपहार के रूप में देगा।

(छ) अनुमति (अनुज्ञा) जारी किये जाने की तारीख से तीन वर्षो की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

(ज) इस उपबन्ध के अधीन दी गयी अनुमति को उस भूखण्ड, जिसके लिए योजना अनुमोदित की गयी हो, के अधिकार, हक, हित की बाबत साक्ष्य नहीं मानी जाएगी ।